

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

-:आदेश:-

संचिका संख्या-06/वि0पत्रा0-24-08/2025

/पटना, दिनांक-

सुश्री पूर्णिमा कुमारी साव, परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं बैच), जहानाबाद अंचल, जहानाबाद को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-11111 दिनांक-05.07.2022 की कंडिका-4 (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार वित्त सेवा में नियुक्ति के पश्चात विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार),
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-06/वि0पत्रा0-24-08/2025 2448

/पटना, दिनांक- 06/07/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण शाखा), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जहानाबाद/अंचल प्रभारी, जहानाबाद अंचल, जहानाबाद/नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं सुश्री पूर्णिमा कुमारी साव, परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं बैच), जहानाबाद अंचल, जहानाबाद को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।